न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 64/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/170

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मालाराम पुत्र राणाराम जाति भील निवासी हेमपुरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.अणदाराम पुत्र गोपाराम 2.करनाराम पुत्र गोपाराम 3.कवितादेवी पत्नि लक्ष्मण जाति भील निवासी हेमपुरा,ढंढ तहसील पचपदरा 4.छगनाराम पुत्र गोपाराम 5.नारायण पुत्र कानाराम 6.पारसमल पुत्र मिसराराम 7.बबरी पत्नि गोपाराम 8.भैराराम के बाबरराम के वारिसान 8/1.प्रभूराम पुत्र भैराराम 8/2.फुलाराम पुत्र भैराराम 9.भाखरराम पुत्र मालाराम 10.महादेव पुत्र गोपाराम 11.सनकी पत्नि मालाराम 12.सुरेश पुत्र गोपाराम जाति भील निवासी ढंढ,हेमपुरा तहसील पचपदरा 18.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी

2.श्री रामदेव गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4,5,9 व 11

3.प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6 से 8,10,12 एकतरफा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक–27/2/2026

संक्षिप्त मे वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद ग्राम हेमपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1201/297 भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 11.7.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्रायमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। वादी अधिवक्ता बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी करवाने पर सहमत है,तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद ग्राम हेमपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1201/297 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	वरंग
1	मालाराम पुत्र राणाराम हि. 4051/11534 जाति भील सनकी पत्नि मालाराम हि. 3435/11534 जाति भील भाखरराम पुत्र मालाराम हि. 2024/5767 जाति भील	हेमपुरा	1201/297	1.1534	नक्शे में दर्शितानुसार
2	नारायण पुत्र कानाराम हिस्सा पूर्ण जाति भील	हेमपुरा	1201/297	0.4856	नक्शे में दर्शितानुसार
3	कवितादेवी पत्नि लक्ष्मण हि. पूर्ण जाति भील	हेमपुरा	1201/297	0.1619	नक्शे में दर्शितानुसार
4	अणदाराम करनाराम छगनाराम महादेव सुरेश पि.गोपाराम बबरी बेवा गोपाराम हि. 2631/3035 जाति भील पारसमल पुत्र मिसराराम हि. 202/3035 कौम भील भैराराम पुत्र बाबरराम हि. 202/3035 कौम भील	हेमपुरा	1201/297	0.3035	नक्शे में दर्शितानुसार

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

27/02/2026

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27/02/2026 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

27/02/2026

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 64/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/170

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मालाराम पुत्र राणाराम जाति भील निवासी हेमपुरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.अणदाराम पुत्र गोपाराम 2.करनाराम पुत्र गोपाराम 3.कवितादेवी पत्नि लक्ष्मण जाति भील निवासी हेमपुरा,ढंढ तहसील पचपदरा 4.छगनाराम पुत्र गोपाराम 5.नारायण पुत्र कानाराम 6.पारसमल पुत्र मिसराराम 7.बबरी पत्नि गोपाराम 8.भैराराम के बाबरराम के वारिसान 8/1.प्रभूराम पुत्र भैराराम 8/2.फुलाराम पुत्र भैराराम 9.भाखरराम पुत्र मालाराम 10.महादेव पुत्र गोपाराम 11.सनकी पत्नि मालाराम 12.सुरेश पुत्र गोपाराम जाति भील निवासी ढंढ,हेमपुरा तहसील पचपदरा 18.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :64/2025

निर्णय दिनांक :- 27.2.2026

वादीगण की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 27.2.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

किः-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.2.2026 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादीगण	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	------	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	--------
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	----	जोड़	------

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा